

69761 - क्या वुजू के दौरान दोनों पैरों को धोना फर्ज है या उन पर मसह करना ?

प्रश्न

अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वुजू के दौरान आयते करीमा में पैरों के लिए मसह करने का उल्लेख क्यों किया है : "अपने सिर का मसह करो और पैरों को दोनों टखनों तक ।" जबकि हमने जो शिक्षा पाई है वह यह है कि वुजू के दौरान हम अपने पैरों को धोयेंगे, तो फिर "मसह करो" का शब्द क्यों आया है ? क्योंकि मेरी सहेली ने मुझसे यह प्रश्न किया है और उसने मुझसे कहा है कि : मैं वुजू के दौरान अपने पैरों पर मसह करती हूँ उन्हें धोती नहीं हूँ, तो मैं जान नहीं सकी कि उसे क्या उत्तर दूँ, क्या इसमें किसी प्रकार का कोई चमत्कार है ? और धोने के स्थान पर मसह करने का उल्लेख करने की क्या हिमकत (तत्त्वदर्शिता) है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है ।

वुजू के अंदर वाजिब पैरों का धोना ही है, और उन पर मसह करना काफी नहीं है, और आपकी सहेली का आयत से यह समझना कि वह पैरों के धोने पर दलालत करती है सही नहीं है ।

इस बात का प्रमाण कि पैरों को धोना ही वाजिब है, वह हदीसे है जिसे बुखारी (हदीस संख्या : 163) और मुस्लिम (हदीस संख्या : 241) ने अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि उन्होंने ने कहा : हमने एक यात्रा की थी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमसे पीछे होगये, फिर हमें इस हालत में पाया कि हमने अम्र की नमाज़ को विलंब कर दिया था, तो हम वुजू करने लगे और अपने पैरों पर मसह करने लगे, तो आपने अपनी अधिकतम ऊँची आवाज़ से पुकार कर कहा : ("ऐड़ियों के लिए तबाही है आग से" दो या तीन बार) ।

तथा मुस्लिम ने (हदीस संख्या : 242) ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णन किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक आदमी को देखा जिसने अपने दोनों ऐड़ियों को नहीं धोया था, तो फरमाया : "ऐड़ियों के लिए तबाही है नरक से ।" ऐड़ी पाँव के पिछले भाग को कहते हैं ।

इब्ने खुज़ैमा ने कहा : यदि मसह कर लेने से फर्ज अदा हो जाता तो आग (नरक) की धमकी न दी जाती ।

हाफिज़ इब्ने हज़र ने कहा : "नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मुतवातिर तरीके से आपके वुजू की विधि के बारे में

सूचनाये वर्णित हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने पैरों को धोया है, और आप अल्लाह के आदेश को स्पष्ट रूप से बयान करने वाले हैं, और सिवाय अली, इब्ने अब्बास और अनस रज़ियल्लाहु अनहुम के किसी अन्य सहाबी से इसके विपरीत साबित नहीं है, तथा इन (तीनों सहाबा) से इस बात से पलट जाना भी साबित है। अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला कहते हैं : अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का दोनों पैरों के धोने पर इत्तिफाक (सर्वसहमति) है। इसे सईद बिन मनसूर ने रिवायत किया है।" (अंत) "फत्हुल बारी" (1 / 320)

जहाँ तक आयत का संबंध है और वह अल्लाह तआला का यह कथन है कि : "ऐ ईमानवालो ! जब तुम नमाज़ के लिए खड़े हो तो धोओ अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों समेत और अपने सिर का मसह करो और अपने पैरों को टखनों समेत धोओ।" (सूरतुल माइदा : 6)

तो यह आयत दोनों पैरों का मसह करने पर तर्क स्थापित नहीं करती है, इसका स्पष्टीकरण यह है कि : इस आयत को पढ़ने की दो विधियाँ हैं :

प्रथम : (व-अर्जु-लकुम) लाम के ज़बर के साथ, इस स्थिति में "अर्जुल" (पैरों) का अत्फ "वज्ह" (चेहरा) पर होगा, और चेहरा को धोया जाता है, अतः पैरों को भी धोया जायेगा। गोया आयत का मूल शब्द इस प्रकार है न : (धोओ अपने चेहरों को, और अपने हाथों को कोहनियों समेत और अपने पैरों को टखनों समेत, और अपने सिर का मसह करो), किंतु पैर के धोने का उल्लेख सिर पर मसह करने के बाद किया गया है इस बात का तर्क देने के लिए कि वुजू के अंदर अंगों की तरतीब (क्रम) इसी ढंग से होगी, यानी चेहरा धोना, फिर हाथों को धोना, फिर सिर का मसह करना, फिर पैरों का धोना।

देखिये : "अल-मजमूअ" (1 / 471)

दूसरी : (व-अर्जुले-कुम) लाम के ज़ेर के साथ, इस स्थिति में उसका अत्फ "रास" (सिर) पर होगा, और सिर का मसह किया जाता है, अतः पैरों का भी मसह किया जायेगा।

परंतु सुन्नत (हदीस) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल मोज़ों या जुराबों पर मसह किया जायेगा, जिसकी हदीस में वर्णित कुछ परिचित शर्तें भी हैं।

देखिये : "अल-मजमूअ" (1 / 450) "अल-इस्तियारात" (पृष्ठ: 13)

तथा मोज़ों पर मसह करने की शर्तों के बारे में जानकारी के लिए प्रश्न संख्या (9640) देखिये।

इस से स्पष्ट हो जाता है कि आयत दोनों क़िराअतों (पढ़ने की विधियों) के आधार पर पैरों का मसह करने पर तर्क है, बल्कि वह पैरों के धोने की अनिवार्यता, या मोज़े पहनने वाले के लिए मोज़ों पर मसह करने पर तर्क है।



कुछ उलमा -जेर की किराअत के आधार पर- इस बात की ओर गये हैं कि पैर के बारे में मसह का उल्लेख करने की हिक्मत (तत्वदर्शिता) जबकि उसे धोया जाता है, यह है कि इस से इस बात का संकेत देना है कि पैरों को धोते समय पानी का प्रयोग कम करना चाहिए, क्योंकि आम तौर पर उनके धोते समय अधिक पानी खर्च किया जाता है, इसलिए आयत ने मसह करने का आदेश दिया है अर्थात् पानी में फुज़ूल खर्ची से काम लिए बिना धोया जाये।

इब्ने कुदामा ने "अल-मुग़नी" (1 / 186) में फरमाया :

"इस बात की संभावना है कि मसह से अभिप्राय हल्का धोना है। अबू अली फारसी का कहना है : अरब हल्का धोने को मसह कहते हैं। चुनांचे वे कहते हैं : तमस्सहूतो लिस्सलात (मैं ने नमाज़ के लिए मसह किया)। अर्थात् तवज़्ज़ा'तो। (मैं ने वुज़ू किया)।" (अंत)

तथा शैखुल इस्लाम रहिमुल्लाह ने फरमाया :

"पैरों पर मसह का उल्लेख करने में पैर पर कम पानी उंडेलने पर चोतावनी है क्योंकि उनमें आम तौर पर फुज़ूल खर्ची से काम लिया जाता है।" (अंत)

"मिनहाज़ुस्सुन्नह" (4 / 174)